प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 128/23 दिनांक 13/7/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – 119 आई.पी.सी. ।

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 789 समय 9:23 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 12.07.2023 समय 05.41 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 03.07.2023 समय 03.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 350 किलोमीटर
(2) पता – डॉ. राजेश्वर के निवास के बाहर स्थित चबुतरा मुख्य बाजार पारसोली ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री गोपी लाल भील
(2) पिता का नाम : श्री भीमा जी भील
(3) आयु : 38 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : श्रमिक
(7) पता : निवासी ग्राम बासोटा, ग्राम पंचायत राजगढ, पुलिस थाना पारसोली तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ ।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मांगी लाल जी मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम खारियों का झुपडा, ग्राम पंचायत बरोदा, पुलिस थाना शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम: सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	7500 रूपये	परिवादी श्री गोपी लाल भील से आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ द्वारा उसके विरूद्व अवैध शराब निकालने का प्रकरण दर्ज करने की धमकी देते हुए कोई प्रकरण दर्ज नही करने की एवज में 7500 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करना तथा परिवादी को अवैध शराब निकालने की एवज में नही पकडकर अवैध शराब का धन्धा करने लिये उकसाना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्व जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018 तथा राजस्थान आबकारी

अधिनियम की धारा 16/54 सपठित धारा 119 आई.पी.सी. के तहत् प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया है ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 7500 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़

विषय : – रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत् ।

महोदय

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि " 4–5 दिन पूर्व मेरे गांव बासोठा में श्री गोदू लाल जी के खेत पर काम रहा था तब हमारें गांव का बीट कानि0 मुकेश मीणा वहां पर आया और मुझे धमकाया की तुम अवैध शराब निकालते हो तुम्हें जेल में डाल डूंगा तथा मुझसे बीस हजार रूपये की मासंग की तो मैनें कहा मैं कोई गलत काम नही करता हूं गरीब आदमी हूं खेती करके अपना गुजारा चला रहा हूं जिस पर मैनें मेरे परिचित नरेन्द्र सिंह S/O श्री रूप सिंह जी नि. महेशरा को बुलाया तथा हाथा जोडी की तो बीट कानि0 ने कहा अभी जीतने पैसे है दे दो बाकी के बाद में दे देना जिस पर मैनें डर के कारण 5000/– मौके पर ही पारसोली थाने के मुकेश मीणा को दे दिया तथा दस हजार रूपये ओर बाद में दे देने को कहा धमकाया कि 10000 रूपये नही देगा तो तेरे को अवैध शराब निकालने के केस में जेल में डाल दूंगा मे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं मेरी मुकेश मीणा से कोई रंजिश/द्वेषता नही है ना ही किसी प्रकार का कोई रूपये पैसों का लेन–देन बकाया है रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाये उक्त रिपोर्ट लिखित मेरे परिचित नरेन्द्र सिंह ने लिखी है जिसको पढकर सुनाई मेरे द्वारा सोच, सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये । "

03.07.2023

प्रार्थी
एस.डी./–
गोपी लाल S/O भीम राव भील
नि. बासेठा, ते. बेंगु चित्तौडगढ
उम्र 38 वर्ष
9521189518

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 03.07.2023 को समय करीब 03.00 पी.एम. पर श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक गोपनीय राजकार्य से मुताबिक उच्च अधिकारी **DIG** साहब के आदेशानुसार ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ पर उपस्थित होने पर परिवादी श्री गोपी राम भील मय अपने साथी श्री नरेन्द्र सिंह के साथ लिखित शिकायत के साथ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ हुआ जिस पर शिकायत का अवलोकन किया जाकर परिवादी व उसके साथी से सम्पूर्ण जानकारी ली, मामला लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांगने का पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन आवश्यक होने से श्री सुनिल कुमार कानि0 नम्बर 264 को मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के साथ रवाना किया जिस पर समय करीब 06.00 पी.एम. पर श्री सुनिल कुमार कानि0 दिये गये निर्देशों की पालना कर पुनः मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित टेप रिकॉर्डर पेश किया जिस पर उक्त टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डर शुदा वार्ता को सुना गया तो उक्त मामले में स्पष्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन की आवश्यकता अपेक्षित होने से श्री आदर्श कुमार

पुलिस निरीक्षक अन्य टास्क में व्यस्त होने से श्री सुनिल कुमार कानि0 को आगामी समय में पुनः प्रयास करने का बताया तथा उक्त कार्यवाही में अब तक किये गये प्रयास व रिकॉर्ड को श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सुरक्षित मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर बताया कि उक्त मामले में आगामी निर्देश मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू जी के अवकाश से पधारने पर प्रस्तुत करें । इसके उपरान्त श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक अन्य टास्क में व्यस्त हो जाने से कोई कार्यवाही नही की जा सकी ।

दिनांक 06.07.2023 को समय करीब 04.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू राजकार्य और अवकाश से बाहर गया हुआ वापस ब्यूरो मुख्यालय चित्तौडगढ पहूंचा जहां पर पत्रावली और रिकॉर्डिंग पेश की । श्री आदर्श कुमार पी.आई. का नोट देखा, परिवादी हाजीर है, सह–परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पिता श्री भूप सिंह निवासी महेशरा तहसील बेंगू थाना पारसोली भी हाजीर है, परिवादी और सह–परिवादी आपस में भली भांती परिचित है, दोनो गांव के पडौसी है (02 K.M), नरेन्द्र सिंह से पूछा गया कि आपकी ओर आरोपी की कोई दुश्मनी तो नही है, तो मना किया, परिवादी ने बताया कि हम आदिवासी गरीब लोंग है स्वयं के उपयोग के लिये दारू बाजार से लाते है किन्तु स्थानीय पुलिस हमें परेशान करती है, मेरे उपर अवैध शराब का कोई मुकदमा नही है, कभी–कभी घरेलु फंक्शन में दारू घर पर बनाते है, उसी कारण कानि0 मुकेश मीणा हमारे को धमकाता है और 5000 रूपये पहले (28–29 जून 2023) को ले लिये ओर अब जेल में डालने की धमकी दे रहा है और बोलता है कि तुम्हारे अवैध शराब के धन्धे की मेरे पास Vidio/Photo है, अगर रूपये नही दोगे तो जेल में डाल दूंगा, सर्वप्रथम मुकेश मीणा ने 20000 रूपये की रिश्वत मांगी थी । परिवादी द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर. का अवलोकन किया, कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह नम्बर 514 को स्पष्ट वार्ता हेतु मय DVR के परिवादी एवं सह–परिवादी के साथ रवाना किया ।

इसके उपरान्त समय करीब 06.00 पी.एम. पर परिवादी, सह–परिवादी और कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह पुनः कार्यालय में उपस्थित आये और बताया कि आरोपी से किरण सोनोग्राफी सेन्टर के बाहर चित्तौडगढ में वार्ता हो गई है, आरोपी ने अभी मेरे से 2000 रूपये और ले लिये है तथा 7500 रूपये और 03–04 दिन में देने के लिये बोला है, परिवादी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले मुकेश कानि0 मेरे खेत पर आया था वहां कुछ फोटो/विडियों उसने बनाया था जहां हमारी कुछ भट्टिया है, इन फोटो के आधार पर मेरे को धमका रहा है, बोल रहा है रूपये देने पर इन्हें भी डिलिट कर दूंगा तथा तुम्हारें खिलाफ कार्यवाही भी नही करूंगा, परिवादी को रिश्वत में दिये जाने वाले 7500 रूपये की व्यवस्था करने की कहकर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रवाना किया तथा यह भी समझा दिया कि जैसे ही रूपयो का प्रबन्ध हो जावें तों कार्यालय में तुरन्त आ जावें । तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त हुआ ।

दिनांक 12.07.2023 को समय करीब 08.40 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री. जितेन्द्र सिंह कानि0 को निर्देशित किया कि उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित परिवादी श्री गोपी लाल भील के पास आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई के सम्बन्ध में परिवादी के साथी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 89558–25518 पर वार्ता कर बतावें । इस पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री गोपी लाल भील के साथी श्री नरेन्द्र सिंह जी के मोबाईल पर वार्ता कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज परिवादी श्री गोपी लाल भील एवं उसका साथी श्री नरेन्द्र सिंह मय आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के साथ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर कार्यवाही हेतु आ रहे है । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई । तत्पश्चात् समय करीब 09.30 ए.एम. पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 को जरियें पत्र 1814 दिनांक 12.07.2023 द्वारा श्रीमान् उप निदेशक, उद्यान विभाग, चित्तौडगढ एवं पत्र कमांक 1815 दिनांक 12.07.2015 द्वारा श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड चित्तौडगढ को जारी कर एक–एक स्वतन्त्र गवाह आज ही प्रातः 10.30 ए.एम पर पत्र वाहक के साथ भिजवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना किया गया था जिस पर समय करीब 10.30 ए.एम. पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 ने ब्यूरो कार्यालय मे

उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं तहरीर लेकर श्रीमान् उप निदेशक, उद्यान विभाग, चित्तौडगढ पहूंचा जहां से गवाह श्री जोगेन्द्र सिंह राणावत, कृषि अधिकारी, उद्यान चित्तौडगढ एवं श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड चित्तौडगढ से गवाह श्री सुर्यवीर सिंह राणावत, कनिष्ठ सहायक को अपने साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी अपना परिचय देकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय मे बैठाया गया । इसके उपरान्त समय करीब 11.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री गोपी लाल भील अपने साथी श्री नरेन्द्र सिंह के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आये और परिवादी श्री गोपी लाल भील ने बताया कि मैं संदिग्ध श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ को उनकी मांग अनुसार 7500 रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अपने साथ लेकर आया हूं आप कार्यवाही करावें । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री सुर्यवीर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह राणावत उम्र 21 वर्ष जाति राजपुत निवासी मकान नम्बर 09 द्वारिका नगर पुलिस लाईन के पीछे कुम्भा नगर चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग खण्ड चित्तौडगढ एवं श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह उम्र 33 साल जाति राजपुत निवासी छोटा खेडा पुलिस थाना पारसोली तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ हाल कृषि अधिकारी (उद्यान) कार्यालय उपनिदेशक उद्यान चित्तौडगढ से परिवादी श्री गोपी लाल भील व उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह का आपस मे परिचय करवाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही मे बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु दोनो गवाहानों से मौखिक सहमती प्राप्त की गई । इसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 03.07.2023 को ब्यूरो कार्यालय मे पेश की गई रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाई और दिखाई गई तो परिवादी ने भी शब्द–ब–शब्द सही होना स्वीकार किया व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया । परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकलवाई जाकर दिनांक 03.07.2023 एवं 06.07.2023 को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ताओं को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई तो दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई ।

इसके उपरान्त समय करीब 11.50 ए.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड शुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.07.2023 को समय करीब 04.29 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपी लाल भील एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि0 पुलिस थाना पारसोली के मध्य पुलिस थाना पारसोली के परिसर में हुई वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी तथा परिवादी के साथी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा समय करीब 02.45 पी.एम. पर रिकार्ड शुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.07.2023 को समय करीब 05.03 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपी लाल भील तथा परिवादी के साथ श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि0 पुलिस थाना पारसोली के मध्य किरण सोनोग्राफी सेन्टर, प्रतापनगर चित्तौडगढ के बाहर हुई वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी तथा परिवादी के साथी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके पश्चात् समय करीब 03.15 पी.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गोपी लाल भील से संदिग्ध श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी ने अपने पास से 500–500 के 15 नोट कुल राशि 7500/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये जिस पर उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 UM 873968
2	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 HR 032858
3	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 MM 556953
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 DA 209464

5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 AD 125782
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 LG 992501
7	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 HV 426379
8	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 PM 110998
9	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 CR 863619
10	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 ND 870890
11	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 BM 186098
12	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 HG 658772
13	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 FL 230273
14	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 FN 496819
15	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4 KV 752014

परिवादी द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मालखाने से निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और फिनोफ्थलीन पाउडर श्री नेमीचन्द सहायक उपनिरीक्षक से लगवाया जाकर नोटों को परिवादी गोपीलाल भील की पहनी हुई शर्ट की उपरी बायीं जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री श्याम लाल हैड कानि0 से साफ कॉच का एक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवांहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः मालखाने में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। इसके उपरान्त उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद गोपनीय निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया । श्री श्याम लाल हैड कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, दो नई गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री गोपीलाल भील को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक के दोनो हाथों को साफ–पानी व साबुन ने धुलवाये गये एवं उसें ट्रेप कार्यवाही के दौरान एसीबी कार्यालय चित्तौडगढ में ही रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब करं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई ।

तत्पश्चात् समय करीब 03.34 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से कहां पर ग्रहण करेगा के सम्बन्ध में आरोपी की लोकेशन की मालूमात करने हेतु परिवादी श्री गोपी लाल भील को कहा गया तो श्री गोपी लाल भील ने बताया कि मेरे मोबाईल में रिचार्ज नही है जिस पर मौके पर परिवादी श्री गोपी लाल भील के साथी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 89558–25518 से आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि0 के मोबाईल नम्बर 86963–78523 पर कॉल कर वार्ता कराई गई जिस पर उक्त वार्ता के दौरान आरोपी ने परिवादी श्री गोपी लाल भील को बताया कि मैं पुलिस थाना पारसोली पर ही हूं, आप आओ तब मुझे फोन कर देना, आप जहां बुलाओगें मैं वहां पर आ जाउंगा से सम्बन्धित वार्ता को नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा रिकॉर्ड की गई थी । जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी । इसके उपरान्त समय करीब 04.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री जोगेन्द्र सिंह राणावत, श्री सुर्यवीर सिंह राणावत मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 चालक मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. एवं आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0 एवं श्री सुरजमल कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह के बजानिब कार्यवाही हेतु पारसोली के लिये रवाना होते हूए परिवादी श्री गोपी लाल भील एवं उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से आगे–आगे रवाना कर, हम सभी रवाना होकर समय करीब 05.00 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा मुख्य बाजार, बैंक ऑफ बडौदा पारसोली के पास पहूंचा जहां पर परिवादी श्री गोपी लाल भील एवं उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादी की निजी मोटर साईकिल के साथ आया जिस पर दोनो सरकारी वाहनों को साईड में खडा करवाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने के सम्बन्ध में पुनः समझाईश दी जाकर समय करीब 05.27 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गोपी लाल भील को उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 89558–25518 से आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के मोबाईल नम्बर 86963–78523 पर वार्ता समय करीब 05.27 पी.एम पर रिश्वत राशि लेनं–देन से पूर्व कराई गई । जिस पर उक्त वार्ता में आरोपी को पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पारसोली, मुख्य बाजार पर रिश्वत राशि लेने हेतु बुलाया गया, जिस पर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया । उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी ।

इसके उपरान्त समय करीब 05.29 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय हमराहीयान सभी अपनी–अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए डॉ. राजेश्वर के निवास के बाहर बने चबुतरे के दाहिनी तरफ परिवादी व परिवादी के साथी श्री नरेन्द्र सिंह व बीच में आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 बैठकर रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बन्धित वार्ता करने एवं राशि ग्रहण करते समय चबुतरे के बांयी ओर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0, डॉ. राजेश्वर के निवास के बाहर गेट के पास खडा श्री ओमप्रकाश शर्मा, डॉ. के निवास के खाली भूखण्ड के सामने श्री सुनिल कुमार कानि0 एवं श्री सुरजमल कानि0 तथा जैन ट्रेडर्स के तरफ सरकारी वाहन टवेरा आर.जे. 14 यू.सी. 3792 मय चालक श्री जयराम कानि0, डॉ. राजेश्वर के निवास एवं खांली भूखण्ड के बीच श्री सडक के साईड में सरकारी वाहन टेवरा नम्बर आर.जे. 14 यू.बी. 8592 मय चालक श्री शेर सिंह नम्बर 296 एवं राजेश्वर के निवास की दाहिनी ओर परिवादी, परिवादी का साथी एवं आरोपी बैठें थे उसके सामने की ओर खाली भूखण्ड एवं पाटनी मेडीकल स्टोर के बीच रोड के साईड में श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं श्री खालिद हुसैन कानि0 तथा पाटनी मेडीकल स्टोर के दाहिने कॉर्नर पर रोड की साईड में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान खडे होकर परिवादी श्री गोपी लाल भील के गोपनीय निर्धारित ईशारें का ईन्तजार में मुकीम रहे ।

इसके पश्चात् समय करीब 05.55 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय करीब 05.41 पी.एम पर परिवादी श्री गोपी लाल भील ने डॉ. राजेश्वर के निवास के बाहर मैन रोड पर आकर खडे–खडे ही अपने सिर पर हाथ फैरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिया जाने से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिसे पास ही खडे श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने देखकर मन् अतिरिक्त पुलिसं अधीक्षक को एवं मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों को ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम के साथ अविलम्ब शिघ्रता से तेज गति से चलते हुए परिवादी के पास पहूंचे तथा परिवादी ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर मैनें अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने पास में ही बैठे सह–परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह के पास बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुए बताया कि यही श्री मुकेश कुमार कानि0 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ है जिन्होने मेरे से अभी–अभी 7500 रूपये की रिश्वत राशि मांग अनुसार प्राप्त की है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं का एवं हमराहीयान का परिचय देकर अपने आनें के मंतव्य से अवगत कराया तथा उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मांगी लाल जी मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम खारी का झुपडा, ग्राम पंचायत बरोदा, पुलिस थाना शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ होना बताया । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणां कानि0 नम्बर 683 का दाहिनी हाथ कलाई के उपर से श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 एवं बायां हाथ श्री सुनिल कुमार कानि0 द्वारा कलाई के उपर से पकडवाकर आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 से परिवादी श्री गोपी लाल भील से 7500/– रूपये रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो घबराते हुए बताया कि मैनें उक्त राशि श्री नरेन्द्र सिंह जी से उधार मांगी थी जो अभी श्री गोपी लाल भील ने मुझे दी है फिर कुछ समय बाद बताया कि मेरे पास श्री गोपी लाल भील अभी कुछ समय पहले श्री नरेन्द्र सिंह के साथ आया तथा श्री नरेन्द्र सिंह जी ने अपने मोबाईल नम्बर 89898–25518 से मेरे मोबाईल नम्बर 86963–78523 पर फोन करके मुझे पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्बा पारसोली के सामनें बुलाया जिस पर मैं यहां आया तो श्री गोपी लाल भील एवं श्री नरेन्द्र सिंह जी मिलें जिन्होने मेरे से इनके खिलाफ अवैध शराब निकालने सम्बन्धी कोई पुलिस कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में बात करते हुए खर्चे–पानी के रूप में 7500/– रूपये दिये जो मैनें अपने हाथों मे लेकर अपने पहने हुए लोवर की बांयी जेब में रखे है, मैनें इनसे कोई रिश्वत राशि के रूप में नही प्राप्त किये है और उक्त रूपये इन्होने अपनी खुशी से मुझे दिये है, मेरे पास श्री गोपी लाल भील के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट/परिवाद/शिकायत जांच रिकॉर्डेड नही है, मैं करीब जून माह में सर्कल में घूमते हुए श्री गोदू लाल मीणा के खेत पर पहूंचा जहां पर श्री गोपी लाल भील अवैध शराब निकाल रहा था परन्तु मुझे देखकर उन्होने उक्त शराब को कुवें में डाल दिया और मुझे मौके पर कुछ नही मिला था तो इन्होने मुझे खुशी से 5000/– रूपये दे दिये तथा दिनांक 03.07.2023 को मेरे से श्री गोपी लाल भील मिला था तब मैनें इनको कहां कि वैसे तो 20000/– रूपये लगते है । इसके उपरान्त दिनांक 06.07.2023 को मैं फिर श्री गोपी लाल भील से किरण सोनोग्राफी, प्रतापनगर चित्तौडगढ के बाहर मिला था जहां पर हम दोनो के मध्य वार्ता हुई थी तब श्री गोपी लाल भील ने मुझे उक्त राशि को कम करने हेतु कहने पर मैनें श्री गोपी लाल भील को कहा कि कुल 9500/– रूपये दे देना तब मौके पर ही 2000/– रूपये दे दिये थे और शेष राशि 7500/– रूपये बाद में लेना मैने तय हुआ था सहीं सही बात है मै झुठ नही बोल रहा हूं जो होना था सो हो गया, आप मुझे माफ कर दो, मैं आईन्दा ऐसी गलती नही करूंगा, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री मुकेशं कुमार मीणा कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी श्री गोपी लाल भील से पूछा तो परिवादी ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी के द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि मेरे द्वारा ब्यूरो मे दिनांक 03.07.2023 को कार्यवाही के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी. उससे कुछ दिन पूर्व मैं मेरे गांव के श्री गोदू लाल जी मीणा के खेत पर काम कर रहा था तब बीट कानि0 श्री मुकेश कुमार मीणा वहां पर आये और मुझे धमकाया कि तुम अवैध शराब निकालते हो, तुम्हें जेल मे डाल दूंगा तथा मुझसे 20 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की तो मैनें कहा कि मैं कोई गलत काम नही करता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, खेती करके अपना गुजारा

चला रहा हूं, जिस पर मैनें मेरे परिचित श्री नरेन्द्र सिंह जी निवासी महेशरा को फोन करके मौके पर बुलाया तथा बीट कानि0 श्री मुकेश कुमार मीणा के समक्ष मैनें काफी हाथा–जोडी की तो श्री मुकेश कुमार कानि0 ने कहा कि आपके पास जितने भी पैसे है वो मुझे दे दो, बाकी के बाद में दे देना जिस पर मैनें डर के कारण उनको मौके पर ही 5000 रूपये दे दिये तथा 10000 रूपये और बाद मे देने को कहा और मुझे धमकाया कि तेरे को अवैध शराब निकालने की एवज में जेल में ड़ाल दूंगा, फिर मैं अपने साथी श्री नरेन्द्र सिंह जी के साथ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर दिनांक 03.07.2023 को उपस्थित हुआ और लिखित रिपोर्ट कार्यवाही के सम्बन्ध में दी थी तब ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से श्री सुनिल कुमार कानि0 के साथ मुझे व मेरे साथी श्री नरेन्द्र सिंह जी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन के सम्बन्ध में पुलिस थाना पारसोली पर भेजा था तब मैनें श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 से वार्ता की थी जो मैने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी । इसके उपरान्त दिनांक 06.07.2023 को समय करीब 05.00 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 के साथ मुझे व मेरे साथी श्री नरेन्द्र सिंह को मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु भेजा तब किरण सोनोग्राफी सेन्टर, प्रतापनगर चित्तौडगढ के बाहर मेरे तथा मेरे परिचित श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के मध्य हुई वार्ता में रिश्वत राशि पूर्व में जो ली गई रिश्वत राशि एवं दौराने सत्यापन 2000 रूपये लिये जाने के बाद मेरे द्वारा काफी निवेदन करने के बाद 500 रूपये की रिश्वत राशि कम करते हुए कुल 9500 रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 ने अपनी सहमति प्रदान की थी जिसमें से 2000 रूपये मेरे द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 को दौराने सत्यापन दिये गये के अलावा शेष राशि 7500 रूपये की रिश्वत राशि ओर दिया जाना तय हुआ था । उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के अनुसार बकाया राशि 7500 रूपये की रिश्वत राशि मैने अभी–अभी मेरे परिचित श्री नरेन्द्र सिंह जी के सामनें श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 को दिये जो इन्होने अपने हाथों में लेने के उपरान्त अपने पहने हुए लोवर की बांयी जेब में रखने के बाद मैं उठकर रोड की ओर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर कुछ ही क्षण में आप व आपकी टीम सभी मौके पर मेरे पास आ गये । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर उपस्थित परिवादी श्री गोपी लाल भील के द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी के परिचित साथी श्री नरेन्द्र सिंह से पूछा तो श्री नरेन्द्र सिंह ने परिवादी श्री गोपी लाल भील के द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों एवं घटित घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि जब श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 प्रथम बार श्री गोपी लाल भील के पास श्री गोदू लाल मीणा के खेत पर आया था तब मुझे श्री गोपी लाल भील ने मोबाईल से कॉल कर बुलाया तब मेरे सामने श्री गोपी लाल भील से श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 ने 5000 रूपये मौके पर लिये और डराया–धमकाया था कि बाकी रूपये जल्दी दे देना नही तो मैं जेल में डाल दूंगा और अवैध शराब निकालने का केस दर्ज कर दूंगा । जिस पर मैं व श्री गोपी लाल भील दिनांक 03.07.2023 एवं दिनांक 06.07.2023 को श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 से ब्यूरो में शिकायत करने के उपरान्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु मिलें थे जिस पर हमारें द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड किया गया तथा दिनांक 06.07.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान श्री गोपी लाल भील से श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 द्वारा 2000 रूपये लिये थे और आज दिनांक 12.07.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही मेरे सामने ही श्री गोपी लाल भील से श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नें 7500 रूपये अभी–अभी अपने हाथों में लेने के उपरान्त अपने पहने हुए लोवर की बांयी जेब में रख लिये है जो अभी भी इनकी जेब में है । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री गोपी लाल भील एवं परिवादी के परिचित साथी श्री नरेन्द्र सिंह जी के उपरोक्त कथनों के सम्बन्ध में पुनः श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 से पूछा तो श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 ने बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई है, आईन्दा ऐसी गलती नही करूंगा, मुझे क्षमा कर दो, उपरोक्त परिवादी व परिवादी के साथी श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के कथनों से रिश्वत राशि ग्रहण की गई स्वीकारोक्ति पर उनके द्वारा ग्रहण की रिश्वत राशि के बारें में प्रमाणिकता हेतु सरकारी वाहन टवेरा मे से श्री सुनिल कुमार कानि0 से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में सें दो साफ कांच के गिलास स्वतंत्र गवाह श्री सुर्यवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से निकलवाये जाकर डॉ. राजेश्वर के

निवास स्थान के बाहर स्थित बरामदे में रखे हुए पीने के पानी के केम्पर मे से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में गवाह श्री सुर्यवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क **RH-1** व **RH-2** से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के बांयें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क **LH -1** व **LH- 2** से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात् समय करीब 06.02 पी.एम. पर आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के दुसरी पेन्ट लाने हेतु श्री शेर सिंह कानि0 चालक को श्री सुरजमल कानि0 के साथ पुलिस थाना पारसोली पर भेजा गया जिस पर पुलिस थाना पारसोली के बैरक से आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि0 की दुसरी पेन्ट लेकर श्री शेर सिंह कानि0 चालक मय सरकारी वाहन के समय करीब 06.13 पी.एम पर मौके पर उपस्थित आया तथा श्री सुरजमल कानि0 को आरोपी के बैरक स्थित सामान की सुरक्षा हेतु पुलिस थाना पारसोली पर ही रखा गया । तत्पश्चात् उसी दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाह श्री जोगेन्द्र सिंह कृषि अधिकारी उद्यान से आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 की निशांदेही अनुसार आरोपी के वक्त ट्रेप पहने हुए लोवर की बांयी जेब में रखी हुई रिश्वत राशि निकालने हेतु कहा तो गवाह श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा आरोपी के पहने हुए लोवर की बांयी जेब से 500–500 रूपये के कुछ नोट निकालकर पेश किये जिस पर उक्त समस्त नोटो को दोनो स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया तो दोनो गवाहान ने 500–500 रूपये 15 नोट कुल 7500 रूपये होना बताया जिस पर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटो से दोनो गवाहों द्वारा करवाया गया तो नोटो का हुबहु मिलान होना पाया गया तथा बरामद शुदा उक्त नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया । इसके उपरान्त आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के पहने हुए लोवर की बांयी जेब का प्रकियानुसार धोवन लिया जाने हेतु एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था पूर्व में की गई थी जिस पर की पहनी हुए लोवर को सःसम्मान उतरवाई जाकर व्यवस्था अनुसार एक अन्य पेन्ट पहनाई गई तथा एक कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर गवाह श्री सुर्यवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास के घोल में आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 की लोवर की बांयी जेब को गवाह श्री जोगेन्द्र सिंह से उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क **L-1** एवं **L-2** से चिन्हित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के लोवर के सम्बन्धित बांयी जेब पर आरोपी, गवाहों तथा परिवादी एवं परिवादी के साथी के हस्ताक्षर करवाये जाकर लोवर को वजह सबूत जब्त कर कपडें की थेली में सीलचिट बंद करा उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 से परिवादी श्री गोपी लाल भील से सम्बन्धित पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ पर कोई परिवाद/रिपोर्ट/शिकायत दर्ज हो एवं जांच हेतु आपको दी गई है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेजात् पेश करने हेतु कहा तो आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि0 ने बताया कि पुलिस थाना पारसोली पर एवं मेरे पास श्री गोपी लाल भील से सम्बन्धित कोई भी जांच/परिवाद/रिपोर्ट दर्ज नही है और ना ही मेरे पांस कोई जांच है । मैनें तो बिना रिपोर्ट/जांच के वैसे ही डरा धमकाकर खर्चे–पानी के तौर पर रूपये लिये है जो कोई रिकॉर्ड पर नही है । आप इस सम्बन्ध में पुलिस थाना पारसोली से जानकारी

प्राप्त कर सकते है । आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 तथा परिवादी श्री गोपी लाल भील के मध्य आपस में साधारण कॉल पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व तथा बाद में हुई मोबाईल वार्ताएं होना पाये जाने से आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के मोबाईल फोन को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाना आवश्यक होने से उक्त मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा । उपरोक्त समस्त कार्यवाही की लिखा पढी जरिये लेपटॉप मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारसोली के सामने डॉ. राजेश्वर के निवास स्थान पर बाहर बने बरामदे में बैठकर की गई । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके पश्चात् समय करीब 07.35 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री गोपी लाल भील तथा परिवादी का साथी नरेन्द्र सिंह की निशांदेही से एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, कानि0 नम्बर 683 की मौजुदगी में घटनास्थल रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बन्धित स्थान पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पारसोली, मुख्य बाजार के सामनें डॉ. राजेश्वर के निवास के बाहर बने हुए बैठने के चबुतरें पर बैठकर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण की गई के घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात् समय करीब 08.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण मय परिवादी व परिवादी के साथी तथा उक्त कार्यवाही में समस्त जब्त शुदा आर्टिकल्स, धोवन के सैम्पल, बरामद शुदा रिश्वत राशि एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 मय सरकारी दोनो वाहनों में बैठकर घटनास्थल मुख्य बाजार पारसोली से पुलिस थाना पारसोली के लिये आरोपी के निवास स्थान से सम्बन्धित स्थान की खाना तलाशी लेने हेतु रवाना होकर समय करीब 08.15 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा पुलिस थाना पारसोली पहूंचा जहां पर श्री सुरजमल कानि0 उपस्थित मिला । तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एवं आरोपी की उपस्थिति में आरोपी के पुलिस थाना पारसोली के बैरक में रखे हुए आरोपी के बक्शे की खाना तलाशी नियमानुसार ली गई तों तलाशी के दौरान खास एवं आपत्तिजनक नही मिला, थानाधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पुलिस थाना पारसोली पर उपस्थित है जिन्हे निर्देश दिया कि आरोपी के परिजनों कों सूचित कर दे । उक्त खाना तलाशी बक्शे की फर्द पृथक से मुर्तीब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त समय करीब 08.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री जोगेन्द्र सिंह राणावत, श्री सुर्यवीर सिंह राणावत मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 चालक मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. एवं आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0, श्री सुरजमल कानि0 मय आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0, परिवादी श्री गोपी लाल भील व उसका साथी श्री नरेन्द्र सिंह मय जब्त शुदा आर्टिकल्स, बरामद शुदा रिश्वत राशि एवं सैम्पल्स शिशियां मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह के पुलिस थाना पारसोली से बाद फारीख ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना होकर समय करीब 09.20 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहूंचा जहां पर उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपी को ब्यूरो जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में बैठाया जाकर जप्त शुदा समस्त मालखाना आईटम को श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सुरक्षित संभलाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

इसके उपरान्त समय करीब 09.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ से उसकी आवाज का नमूना चाहने हेतु पृथक से तहरीर दी गई तो आरोपी द्वारा उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने हेतु अंकित किया गया जिस पर उक्त पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया जाने के उपरान्त समय करीब 10.00 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी

को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री मांगी लाल मीणा को उनके मोबाईल नम्बर 8107825943 पर जरिये दूरभाष दी गई तथा आरोपी की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 की गिरफ्तारी की सूचना उससे सम्बन्धित श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ एवं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा के नाम पत्र जारी प्रेषित किये गये ।

इसके उपरान्त समय करीब 10.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 की जामा तलाशी में प्राप्त एक एन्ड्राईड फोन वीवो कम्पनी, मॉडल नम्बर 1803 बरंग गोल्डन होकर उसमें दो मोबाईल सीम लगी हुई है जिसके मोबाईल नम्बर 86963–78523 एंवं 89555–26978 है जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर उक्त मोबाईल को सीलचिट बंद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया । तत्पश्चात् समय करीब 10.30 पी.एम. पर उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री गोपी लाल भील एवं उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में दिनांक 12.07.2023 को समय करीब 03.34 पी.एम पर परिवादी की वार्ता परिवादी के साथी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 89558–25518 से आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 पुलिस थाना पारसोली के मोबाईल नम्बर 86963–78523 के मध्य परिवादी के साथी के मोबाईल पर हुई वार्ता को नियमानुसार ब्यूरो की डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी तथा परिवादी के साथी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा समय करीब 11.10 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गोपी लाल भील को उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 89558–25518 से आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 के मोबाईल नम्बर 86963–78523 पर वार्ता समय करीब 05.27 पी.एम पर रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व कराई गई थी जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जिसे नियमानुसार कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात् समय करीब 11.45 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गोपी लाल भील तथा उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 के मध्य समय करीब 05.29 पी.एम. से 05.41 पी.एम. के मध्य रिश्वत राशि लेन–देन के दौरान आमने–सामने रूबरू हुई वार्ता जो परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई जिसे नियमानुसार कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

दिनांक 13.07.2023 को समय करीब समय 12.15 ए.एम. पर उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा (1) रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताएं दिनांक 03.07.2023 को समय करीब 04.29 पी.एम पर परिवादी श्री गोपी लाल भील एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 के मध्य आमने–सामने रूबरू पुलिस थाना पारसोली के परिसर में हुई वार्ता, (2) दिनांक 06.07.2023 को समय करीब 05.03 पी.एम पर परिवादी श्री गोपी लाल भील तथा उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 के मध्य आमने–सामने रूबरू किरण सोनोग्राफी सेन्टर, प्रतापनगर चित्तौडगढ के बाहर हुई वार्ता, (3) दिनांक 12.07.2023 को समय करीब 03.34 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपी लाल भील के साथी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 89558–25518 से आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि0 के मोबाईल नम्बर 86963–78523 पर रिश्वत राशि जिस स्थान पर ग्रहण करेगा उससे सम्बन्धित स्थान की लोकेशन के सम्बन्ध में मालूमात बाबत् की गई वार्ता, (4) व समय करीब 05.27 पी.एम. पर रिश्वत राशि देने से पूर्व पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पारसोली के सामने बुलाने हेतु परिवादी श्री गोपी लाल भील के साथी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 89558–25518 से आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि0 के मोबाईल नम्बर 86963–78523 पर वार्ता कराई गई, (5) रिश्वंत राशि लेन–देन के दौरान आमनें–सामनें रूबरू हुई परिवादी श्री गोपी लाल भील तथा परिवादी के साथी श्री नरेन्द्र

सिंह एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ के मध्य हुई कुल 05 वार्ताएं जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई थी। सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त 05 वार्ताओं की 04 सीडी श्री जितेन्द्र कानि0 नम्बर 514 से डब करवाई जाकर 01 सीडी वजह सबूत न्यायायल के लिये, 01 सीडी आरोपी के लिये, 01 सीडी नमूना आवाज के लिये पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैलीयों मे सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं 01 सीडी. आई.ओ. के लिये खुली रखी गई के उपरान्त समय करीब 12.50 ए.एम. पर उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गोपी लाल भील तथा परिवादी के साथी श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 03.07.2023 से लेकर ट्रेप कार्यवाही दिनांक 12.07.2023 तक हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं, मोबाईल पर हुई वार्ताओ एवं रिश्वत राशि लेन–देन के दौरान आमने–सामने रूबरू हुई कुल 05 वार्ताएं जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई थी । उक्त 05 ऑडियों फाईल्स को ए–डेटा कम्पनी के 16 जी.बी. पेन ड्राईव बरंग लाल सिल्वर में सेव किया जाकर पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क **"पी."** अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध मे फर्द जब्ती पेन ड्राईव अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके उपरान्त समय करीब 01.05 ए.एम. पर उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गोपी लाल भील तथा परिवादी के साथी श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 03.07.2023 से लेकर ट्रेप कार्यवाही दिनांक 12.07.2023 तक हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं, मोबाईल पर हुई वार्ताओ एवं रिश्वत राशि लेन–देन के दौरान आमने–सामने रूबरू हुई कुल 05 वार्ताएं जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड में रिकार्ड है । उक्त सरकारी ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम.–01" अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध मे फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके उपरान्त समय करीब 01.15 ए.एम. पर श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 मय आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 को जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ से आरोपी का मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर जरिये तहरीर देकर रवाना किया गया जिस पर समय करीब 02.10 ए.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 पुनः ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट एवं आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ मे जमा करवाने से सम्बन्धित पेश की जिस पर उक्त दोनो तहरीर को बाद अवलोकन शामील कार्यवाही किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 02.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित परिवादी श्री गोपी लाल भील एवं उसके साथी श्री नरेन्द्र सिंह तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जोगेन्द्र सिंह राणावत, कृषि अधिकारी, उद्यान विभाग चित्तौडगढ एवं श्री सुर्यवीर सिंह कनिष्ठ सहायक, जन् स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड चित्तौडगढ को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रूखसत किया गया । तत्पश्चात् समय करीब 10.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 जरिये सरकारी वाहन

नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 को आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर लाने हेतु रवाना किया गया जिस पर समय करीब 10.30 ए.एम. पर उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 मय आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिस पर आरोपी को ब्यूरो कार्यालय की निगरानी में बैठाया गया । इसके उपरान्त उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध मे पूछताछ कर पृथक से पूछताछ नोट तैयार कर पूछताछ नोट पर आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पूछताछ नोट को शामील पत्रावली किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 01.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नेमीचन्द खटीक ए.एस.आई, श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0 नम्बर 105 एवं श्रीमती आशा महिला कानि0 को मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयुपर के समक्ष पेश करने हेतु वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश के साथ उदयुपर के लिये रवाना किया गया ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री गोपी लाल भील से अवैध शराब निकालने का प्रकरण दर्ज करने की धमकी देते हुए कोई प्रकरण दर्ज नही करने की एवज में 7500 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है जो कि धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ द्वारा ब्यूरो के परिवादी श्री गोपी लाल भील को अवैध शराब निकालने की एवज में नही पकडकर अवैध शराब का धन्धा करने लिये उकसाना पाये जाने पर आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा कानि0 का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 सपठित धारा 119 आई.पी.सी. की श्रेणी में आता है ।

इस प्रकार आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा हाल कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढके विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 सपठित धारा 119 आई.पी.सी. के तहत् अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

अतः आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मांगी लाल जी मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम खारियों का झुपडा, ग्राम पंचायत बरोदा, पुलिस थाना शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल कानि0 नम्बर 683 पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूंचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौडगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ की प्राप्त हुई है। मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मांगी लाल जी मीणा, कानि. नम्बर 683, पुलिस थाना पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 सहपठित धारा 119 भादंसं में घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 188/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2325-28 दिनांक 13.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला, चित्तौड़गढ़।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।